

फर्द अहकाम

सुवा

बनाम रतन लाल वर्मा

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या 48/2020 दावा

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/11/24	<p>पत्रावली पेश। वकील वादी अनुपस्थित। वकील वादी। वादी का आवाज दिलाई गई। कोर्ट भी उपस्थित नहीं आये। बार-बार, रुक-रुककर आवाज दिलाई गई। कोर्ट भी उपस्थित नहीं आये। कोर्ट का समय पूर्ण हो चुका है। वादी का वाद अदम हाजरी अदम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली जैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम है दाखिल दफ्तर रहे।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला-दूदू</p>